न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 143/2019

अनवान :

संदीप पुत्र फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. फकीरचन्द पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुशील पुत्र फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मनीषा पुत्री फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. नीतु पुत्री फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री सुनील बैनीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक :** 23-01-202

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 35/72 के मु0नं0 32 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 40 के किला नं0 10, 11, 20, 21 मु0नं0 41 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 55 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 56 के किला नं0 1 कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी फकीरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा हरपत की खातेदारी हुआ करती थी। वादी के दादा हरपत के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई थी परन्तु प्रतिवादी फकीरचन्द कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली है। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी फकीरचन्द के नाम से दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सन्दीप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 35/72 सम्वत् 2072 से 75 की प्रदर्श 1, सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 72/71 सम्वत् 2068 से 71 की प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी के बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम 13 जेजीडब्ल्यु के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य फोटो प्रतिलिपि जमाबन्दी 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 72/71 सम्वत् 2068 से 71 की प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा हरपत वल्द रतना के नाम दर्ज है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में फकीरचन्द के वारिसान में पत्नि सविता, दो पुत्र संदीप व सुशील, दो पुत्रियां मनीषा व नीतू होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 35/72 के मु0नं0 32 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 40 के किला नं0 10, 11, 20, 21 मु0नं0 41 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 55 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 56 के किला नं0 1 कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी फकीरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 फकीरचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पाँचों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 143/2019

अनवान :

संदीप पुत्र फ़कीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. फकीरचन्द पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुशील पुत्र फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. मनीषा पुत्री फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. नीतु पुत्री फकीरचन्द जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. एक्सीस बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 35/72 के मु0नं0 32 के किला नं0 16, 17, 24 व 25 मु0नं0 40 के किला नं0 10, 11, 20, 21 मु0नं0 41 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु0नं0 55 के किला नं0 3 ता 5, मु0नं0 56 के किला नं0 1 कुल 6.325 है0 नहरी मय खाला रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी फकीरचन्द के नाम से खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 फकीरचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पाँचों बहिस्सा बराबर अर्थात् प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-01-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.19 16:21:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: